न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–130 / 2015

1. श्री बगदीराम पिता नानालाल जाति मेघवाल निवासी स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
2. श्री टेकचन्द्र पिता नानालाल जाति मेघवाल निवासी स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
3. श्रीमती मांगीबाई पिता नानालाल जाति मेघवाल निवासी स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0 हा0 मु0 अम्बावली
4. श्रीमती सुखीबाई पिता नानालाल जाति मेघवाल निवासी स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0 हा0 मु0 गोमाना

—— वादीगण

बनाम

1. श्री मदनलाल पिता घीसालाल जाति अग्रवाल निवासी स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
2. श्री नाथुलाल पिता घीसालाल जाति अग्रवाल निवासी स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
3. श्रीराजस्थान सरकार,जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 188–209 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री सजय खिमेसरा– अभिभाषक वादी

निर्णय दिनांक 17.03.2021

1. वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट. में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण मौजा स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी के स्थाई निवासी होकर काश्त से अपनी जिविका अर्जन करते है तथा प्रतिवादीगण भी अपनी आजिविका काश्त से अर्जित करते है। एवं वादीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की आराजी चाह

उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक 570 रकवा 0.05 हैक्ट0 राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा उक्त आराजीयात से अन्य आराजीयात आराजी क्रमांक 574 रकवा 0.21 हैक्ट0, आराजी क्रमांक 575 रकवा 0.03 हैक्ट0, आराजी क्रमांक 766 रकबा 0.50 हैक्ट0, आराजी क्रमांक 770 रकवा 0.52 हैक्ट0, आराजी क्रमांक 791 रकवा 0.63 हैक्ट0 कुल किता 06 कुल रकवा 1.92 हैक्ट0 पर वादग्रस्त आराजीयात से सिचाई करते चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादीगण जानवुझकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर वने कुए में एक मात्र हिस्सा वताने व उस पर स्वयं का मालिकाना हक काबिज करने के लिए कुए में विना वादीगण की सहमति से कुए को गहरा व निमार्ण करने पर उतारू हो रहे है तथा हम गरीव अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ डालकर एक मात्र स्वामित्व व अधिपत्य कायम करना चाहते है। वादी द्वारा एसा करने हेतु दिनांक 17.11.2015 को इन्कार किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा लगे तथा कुएं से पानी निकालने के लिए मना किया अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्ध किया जावें कि वादीगण की विना अनुमति लिये कुए में किसी भी प्रकार का निमार्ण नहीं करावें।

2. पत्रावली का अवलोकन कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सुचित किया दिनांक 12.12.2015 को प्रतिवादी क्रमांक 02 स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रमांक 01 मेरा बड़ा भाई है एवं वह आगामी पेशी दिनांक को हाजिर हो जायेगा लेकिन प्रतिवादीगण न तो उपस्थित हुए नहीं किसी प्रकार का कोई जवाव पेश किया इसलिए दिनांक 06.01.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिया गया। एवं वादी ने अपने बयान दर्ज करवाये गयें जोकि PW-1 है जिसमें वादी ने वाद के मुल बिन्दु को सही होना स्वीकार किया । एवं अपने वयानों में वादी ने दस्तावेजों को पदर्श करवायें जोकि EX-P1 से लगायत EX-P3 है। तथा दिनांक 31.07.2019 को पत्रावली में एकपक्षीय बहस सुनी गई। एवं प्रतिवादीगण न तो उपस्थित हुए एवं न ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे वादी के वाद के खण्डन हो जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त उक्त आराजी के

उपखण्ड अधिकारी

कुए पर वादीगण का मालिकाना हक है। एवं प्रतिवादीगण को स्थिाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करना न्यायोचित हैं।

3. अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पुर्वक अवलोकन कर मनन किया गया अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा स्वरूपगंज कि आराजी चाह क्रमांक 570 रकबा 0.05 हैक्ट0 में स्थित कुएं में किसी प्रकार का लागत नहीं लगावें न किसी का निमार्ण करावें। ड्रिकी पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़